

**बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित, पटना**  
**(बिस्कोमान)**  
**आदेश**

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 में निहित प्रावधानों के कार्यान्वयन के तहत सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मी अनावश्यक रूप से न्यायालय के शरण में नहीं जाये, इसके लिए शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु Grievances Redressal Committee का गठन किया जाता है जिसके निम्न सदस्य है :-

1. सचिव	अध्यक्ष
2. प्रभारी पदाधिकारी(विधि)	सदस्य
3. विशेष पदाधिकारी(प्रशासन)	सचिव-सह-सदस्य
4. मुख्य लेखा / लेखा पदाधिकारी(स्था.लेखा)	सदस्य
5. प्रभारी पदाधिकारी(क्षति)	सदस्य
6. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी(भविष्य निधि)	सदस्य

1. उक्त समिति सेवा संबंधी शिकायतों तथा सेवान्त लाभ से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त आठ सप्ताह के अन्दर विचार करेगी।
2. प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित शाखाओं द्वारा रजिस्टर में दर्ज करेंगी तथा आवश्यक निर्गम हेतु उक्त कमिटी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
3. उक्त समिति की बैठक एक माह में दो बार अध्यक्ष के निदेशानुसार आहूत की जायेगी।
4. कमिटी संदर्भित मामले में लिए गये निर्णय के तहत अपनी अनुशंसा अंतिम निर्णय हेतु प्रबंध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।

ह.-  
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक :-स्था0-एम-539

दिनांक :-27-08-2014

प्रतिलिपि :-

1. समिति के सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सम्बन्धित शाखा, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह.-  
प्रबंध निदेशक